| |
|---|
| दिनांक 03.12.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 05/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की भेंटवार्ता

आज दिनांक 03.12.2025 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में भारतीय पुलिस सेवा 77 आरआर (2023–24 बैच) के 23 प्रशिक्षु अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण से शिष्टाचार भेंट की।

भेंटवार्ता के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने सर्वप्रथम प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से उनकी जिज्ञासाओं, अनुभवों एवं प्रशिक्षण के दौरान सामने आए व्यावहारिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्य, पुलिसीय कार्यप्रणाली, फील्ड चुनौतियों एवं नेतृत्व से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रश्न पूछे गए जिनका पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने स्पष्ट, व्यावहारिक एवं अनुभव-आधारित दृष्टिकोण से उत्तर दिया गया।

**पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के संबोधन के प्रमुख बिंदु:**

- पुलिसिंग मानव संबंधों का सर्वोच्च और सबसे निर्मल स्वरूप है। इसलिए पुलिस के हर कदम में मानवीय समझ होनी चाहिए और हर संवाद में मानवीय संवेदना।
  (Policing is extreme and purest form of human relationship, therefore human understanding and human communication is a must)
- संचार क्षमता को नौकरी का मूल और अनिवार्य हिस्सा मानते हुए निरंतर विकसित करें।
- अधिक से अधिक नागरिकों से संवाद स्थापित करें, उनकी बातों को धैर्य और सम्मान के साथ सुनें।
- सीखने की उत्सुकता बनाए रखें, प्रश्न पूछें और किसी भी परिस्थिति में पूर्वाग्रह न रखें।
- फील्ड में समय का संरचित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग करें; प्रत्येक दिन को सीखने का अवसर मानें।
- पुलिस सेवा अत्यंत प्रभावशाली उत्तरदायित्व है, जहाँ निर्णय सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं।
- करियर के प्रारंभिक 4–5 वर्ष संपूर्ण सेवा प्रवृत्ति और पेशेवर पहचान को निर्धारित करते हैं।
- ईमानदारी, पेशेवर आचरण और नैतिकता (Integrity & Professional Conduct) को सर्वोच्च रखें।

- अपनी छवि की रक्षा अपने जीवन की तरह करें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा पूंजीगत मूल्य है।
- अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाएँ, टीम भावना को मजबूत करें और नेतृत्व में संवेदनशीलता बनाए रखें।
- पुलिस सेवा में "मार्शल गुणवत्ता" — हौसला, दृढ़ता और टीम को नेतृत्व देने की क्षमता — अनिवार्य है।
- फील्ड में परिस्थितियों का सूझबूझ से मूल्यांकन, अधीनस्थों के विचारों को समझना और समग्र विवेक से निर्णय लेना एक आदर्श अधिकारी की पहचान है।
- उत्कृष्ट अधिकारी के भीतर ओपन माइंडसेट, स्पष्ट दृष्टि (Clear Vision) और उत्तम निर्णय क्षमता (Good Judgement) का संतुलित मिश्रण होना चाहिए।

अंत में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों को आत्मविश्वास, ईमानदारी, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, अनुशासन और मजबूत नेतृत्व के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी गईं। प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से पुलिस महानिदेशक को स्मृति-चिह्न (Momento) भेंट किया गया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्रीमती रेणूका मिश्रा, अपर पुलिस महानिदेशक रूल्स एण्ड मैनुवल श्री एल०वी० एनटोनी देवकुमार, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था श्री अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक श्री राजकुमार, अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार श्री रामकुमार, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध श्री एस०के० भगत, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री बी०डी० पॉल्सन, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन श्री प्रशान्त कुमार- ।।। तथा पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक/पुलिस महानिदेशक के जी०एस०ओ० श्री शलभ माथुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश
17 RR

17 RR

| दिनांक 03.12.2025 |
|---|
| प्रेस विज्ञप्ति 06 / 2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**एस0टी0एफ0-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 523 ग्राम प्रतिवंधित ड्रग्स M.D.M.A. के साथ गिरफ्तार।**

दिनांक 03-12-2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को 523 ग्राम प्रतिवंधित ड्रग्स M.D.M.A. (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 80 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

**1-** मोहमद मुजीब पुत्र मोहमद अनीस निवासी 119/214 लोधिपुरवा खंदारी बाज़ार लालबाग लखनऊ।

**2-** मुकेश सिंह पुत्र ननकू सिंह निवासी बहुताचक डाही थाना सुरियावां जनपद संत रविदास नगर भदोई।

**बरामदगी:-**

**1-** 523 ग्राम प्रतिवंधित ड्रग्स M.D.M.A. (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 80 लाख रूपये)।

**2-** 01 अदद मोबाइल फोन।

**3-** 2500 रुपए नगद।

**4-** 01 अदद टाटा सफारी नम्बर यू0पी0 **UP32GR1222**

**5-** 01 अदद पैनकार्ड

**6-** 01 अदद आधार कार्ड

**7-** 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस

**गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-**

गब्बर ढाबा के पास, सुल्तानपुर रोड, थाना गोसाईगंज, कमिश्नरेट लखनऊ दिनांक-03-12-2025 समय-08.55 बजे।

एस०टी०एफ० उ०प्र० को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ0 मुख्यालय उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षण में निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह उपनिरीक्षक

अतुल चतुर्वेदी मय उ0नि0 देवेन्द्र पाल, उ०नि०अरशद खान, मु०आ०नीरज पाण्डेय, मु0आ0 राम निवास शुक्ल, मु०आ०राजीव कुमार, आरक्षी श्री राम सिंह मय वाहन UP32BG4551 चालक जैल सिंह यादव एसटीएफ मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि गोसाईगंज, कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत सुल्तानपुर रोड पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 व्यक्ति टाटा सफारी वाले हैं, जिसके पास अवैध मादक पदार्थ होने की सम्भावना है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा गोसाईगंज, कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत गब्बर ढाबा के पास, सुल्तानपुर रोड से 02 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि इनका एक संगठित गिरोह है, जो अन्तराष्ट्रीय स्तर प्रतिवंधित ड्रग्स M.D.M.A. की तस्करी करता है। प्रतिवंधित ड्रग्स M.D.M.A. मैं मोहमद मुजीब द्वारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, बिहार आदि राज्यों में महंगे दामों पर बेच रहा हूँ। मुजीब ने बताया कि प्रतिबंधित ड्रग्स M.D.M.A. कई तरह के प्रतिबंधित केमिकल को मिला कर अपने ही घर पर बनता हूँ, M.D.M.A. ड्रग्स बनाना मैंने वाराणसी के रहने वाले अभय सिंह से सीखा था, अभय सिंह कुछ समय पहले M.D.M.A. ड्रग्स के साथ मुंबई में पकड़ा गया था, अभी कुछ समय पहले ही वह जेल से छूटा है, बरामद ड्रग्स को मै अभय सिंह व उसके भाई अनुज के कैरियर मुकेश उपरोक्त को साथ लेकर वारणसी जा रहा था, तो आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया, मै पिछले काफी समय से खरीददारों की मांग के हिसाब से M.D.M.A. बना कर जिसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं अन्य प्रदेशों मे सप्लाई कर रहा हूँ।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध गोसाईगंज, कमिश्नरेट लखनऊ 628/2025 धारा 8/21/29/60 NDPS ACT पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

**<u>एएनटीएफ यूनिट मेरठ द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 02 किलो 810 ग्राम अवैध अफीम (जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रूपये), 01 अदद मोबाइल व 1,050/- रुपये नकद बरामद किया गया।</u>**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट मेरठ द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी

करने वाले 01 सक्रिय तस्कर जिसका नाम बृजपाल पुत्र ज्ञान सिंह निवासी गांव ललुआ नगला थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 23 बर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 810 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम (जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रूपये), 01 अदद मोबाइल फोन व 1,050/- रुपये बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 518/2025 धारा 8/18C/29 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि यह अवैध मादक पदार्थ अफीम एक व्यक्ति ने इसे यह कह कर दिया है कि रेलवे स्टेशन सहारनपुर के आस-पास ही रहना वहाँ पर एक व्यक्ति आयेगा या अपने किसी व्यक्ति को भेजेगा और सामान ले जायेगा। यह आज उसी व्यक्ति का इन्तजार कर रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. बृजपाल पुत्र ज्ञान सिंह निवासी गांव ललुआ नगला थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 23 बर्ष।

**गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-**

**दिनांक-** 02.12.2025 **स्थान-** गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सहारनपुर के पास सड़क पर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण**

1. 02 किलो 810 ग्राम अवैध अफीम (जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रूपये),
2. 01 अदद मोबाइल फोन
3. 1,050/- रूपया नगद।

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण- ए0एन0टी0एफ0 यूनिट मेरठ**

1- उप निरीक्षक श्री राहुल कुमार सिंह एएनटीएफ यूनिट मेरठ।

2- हे0का0 संजीव कुमार एएनटीएफ यूनिट मेरठ।

3- हे0का0 धीरी सिंह एएनटीएफ यूनिट मेरठ।

4- हे0का0 विनित कुमार एएनटीएफ यूनिट मेरठ।

5- हे0का0 मनीष कुमार एएनटीएफ यूनिट मेरठ।

**सहयोगार्थ थाना-कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की टीम-**

1- उप निरीक्षक श्री मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2- हे0का0 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3- का0 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

## जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के 60 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 02 डीवीआर**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 02/03.12.2025 की रात्रि थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अजगईवा घाट पुल के पास से अभियुक्त अविनाश को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 60 हजार रूपये नगद, चोरी की 02 डीवीआर, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1–अविनाश निवासी बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**बरामदगी**

1–चोरी के 60 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 02 डीवीआर।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल।

5–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस आदि।

- **जनपद कुशीनगर/थाना नेबुआ नौरंगिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 05 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना नेबुआ नौरंगिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सत्येन्द्र को आजीवन सश्रम कारावास व 05 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 04 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कशीनगर द्वारा थाना पटहेरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुन्ना को आजीवन कारावास व 04 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना पिहानी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 32–32 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पिहानी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307/325/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कल्लू 2–रामवीर 3–रामकिशोर 4–रामौतार को आजीवन कारावास व 32–32 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना बछरायुं (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना बछरायूं पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 3/4/17 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू को 20 वर्ष के कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष 11 माह के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कोतवाली अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मिथुन उर्फ राहुल को 07 वर्ष 11 माह का कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————